www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 21.06.2017

सीबीआई ने तथाकथित गैर-अनुपातिक सम्पत्ति को रखने पर आई.एम.एम.टी. के तत्कालीन निदेशक के विरूद्ध मामला दर्ज किया एवं तलाशी की

सीबीआई ने खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एम.एम.टी.), भुवनेश्वर (ओडिशा) के तत्कालीन निदेशक के विरूद्ध मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि आरोपी ने भारी सम्पत्ति (चल/ अचल) एकत्र की एवं उन्होने जॉच अवधि 01.04.2006 से 31.08.2016 के दौरान अपने ज्ञात स्रोतों से 1,14,89,691 रू. (गैर अनुपातिक सम्पत्ति 49.37%) धनराशि की गैर-अनुपाति क सम्पत्ति (डी.ए.) बनाई।

आरोपी के भुवनेश्वर एवं गोवा स्थित परिसर में आज तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आगे की जॉच जारी है।

****